

आज दिनांक 10.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

दुधारा पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में एनबीडब्ल्यू, वांछित, जिला बदर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता जमशीर उर्फ समशेर पुत्र रहमत अली निवासी हुजुरा सुहावा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत च्यूटना तिराहे के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दिनांक 17.08.2022 से 06 माह हेतु जिला बदर का आदेश निर्गत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर जनपदीय सीमा में रहने के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 354/2022, धारा-10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0कां0 मोतीलाल यादव, हे0कां0 ओमप्रकाश यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1495 को थाना मेहदावल अंतर्गत मेहदावल से इवेन्ट संख्या 11177 से कालर ने मार्ग दुर्घटना होने से 03 व्यक्तियों (1- मुकद्वर पुत्र राममिलन, 2- रोहित, 3- बाबूलाल नासीगण गगनई राव थाना मेहदावल) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगों को जरिए एम्बुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मेहदावल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ –का0 अखिलेश नायल, हो0चा0 पंकज मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 85 वाहनो से 61000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 10.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 85 वाहनो से 61000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।